न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 32/2022

जीवराज सिंह पुत्र श्री गीगसिंह,जाति राजपूत निवासी पोंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 24/2022 निर्णय दिनांक 04.5.2022

उपस्थितिः—

1 .श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट ———————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक— 30.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.5.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0नं0 24/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि:— अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अदालत ने बिना न्यायिक विवेचना किये एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 04.05.2022 पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है। निर्णय दिनांक 04.05. 2022 में कहीं पर भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी बी.एस.एन.एल. तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है, कि अदालत मातहत ने बिना माइण्ड अप्लाई किये सरसरी रूप से आदेश पारित किया है। स्वीकृत रूप से जब तक प्रकरण संख्या 24/2022 में [illegible] का कोई आदेश पारित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2022 को [illegible] आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

निलाम करने बाबत पारित किया गया है, जिसका कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय किसी भी तरह का सुनवाई का कोई अवसर अपीलार्थी को नहीं देना चाहता था तथा बिना बहस सुने ही सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही जिस पटवारी रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गईहै, उसमें सम्वत 2078 में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना अंकित किया गया है तथा उक्त रिपोर्ट में कैफियत के मद में सांसद निधि से मकान व बरामदा निर्मित होना अंकित किया गया है जो किन सन् 2004–2005 में किया जाना अंकित किया है। उक्तानुसार एक तरफ तो सम्वत 2078 अर्थात सन 2021–2022 में अतिक्रमण करना तथा दूसरी तरफ सन 2004–2005 में निर्माण किया जाना अंकित किया गया है, उक्तानुसार दोनों तथ्य विरोधाभाषी हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है, निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी व बीएसएनएल के मध्य उक्त भूमि पर टावर लगाने का एक रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 24.10.2018 को उपपंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी के द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की मानकर तस्दीक किया गया था तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार जब तक उक्त इकरारनामे को निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उक्त इकरारनामे में अंकित सभी तथ्यों के सही होने की उपधारणा की जायेगी तथा इकरारनामें में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की है। उक्त तथ्यों के विपरित जाकर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है,वह विधिक स्थिति से विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट का कथन कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश में अंकित भूमि बाबत दिनांक 03.07.2015 को भू राजस्व अधि० की धारा 256/257 के तहत 13,500 रूपये बकाया का नोटिस दिया गया था तथा अपीलार्थी ने दिनांक 20.7.2015 को उक्त राशि जरिये रसीद संख्या 67 तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां जमा करवाये थे। इन सब से स्पष्ट है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा आक्षेपित आदेश में अंकित भूमि को अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की होना स्वीकार किया गया था, अब [illegible] विपरित जाकर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह अपने पूर्ववर्ती आदेश संशोधित/[illegible] के कारण निरस्त होने योग्य है। जिस सड़क के कार्य में व्यवधान/अतिक्रमण मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

उक्त सडक सन 1976 में डाली गई थी और पूर्व में 3 दफा सड़क का निर्माण किया जा चुका है अब केवल मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलार्थी के निर्माण को गलत रूप से अतिक्रमण मानकर ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जो निरस्त होने योग्य है। मौके पर अपीलांट का विद्युत कनेक्शन है। उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व व कब्जा मानकर अनापति प्रमाण पत्र जारी हुये है जिससे भी अपीलार्थी का पुराना व वैध कब्जा है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। अगर अपीलांट का अतिक्रमण माना भी जाता है तो राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नियमन की कार्यवाही बाबत अपीलांट भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है अथवा विकल्प के बतौर राशि जमा नहीं होने की स्थिति में उक्त भूमि के पास में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से भूमि लेकर उक्त भूमि का नियमन किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 04.05.2022 उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0नं 24/2022 निरस्त किये जाने एवं न्यायहित में अन्य कोई न्यायोचित आदेश अपीलार्थी के पक्ष में फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– योग्य अदालत ने बिना न्यायिक विवेचना किये एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 04.05.2022 पारित किया है। आर्डर की तारीफ में नहीं आता है। निर्णय दिनांक 04.05.2022 में कहीं पर भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थी बी.एस. एन.एल. तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के जवाब का कोई विवरण अंकित नहीं है, अदालत मातहत ने बिना माइण्ड अप्लाई किये सरसरी रूप से आदेश पारित किया है। स्वीकृत रूप से जब तक प्रकरण संख्या 24/2022 में किसी तरह का कोई आदेश पारित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2022 [illegible] आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा निलाम करने बाबत पारित किया गया है, जिसका कोई [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह का सुनवाई का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अवसर अपीलार्थी को नहीं देना चाहता था तथा बिना बहस सुने ही सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही जिस पटवारी रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गई है, उसमें सम्वत 2078 में अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना अंकित किया गया है तथा उक्त रिपोर्ट में कैफियत के मद में सांसद निधि से मकान व बरामदा निर्मित होना अंकित किया गया है जो किन सन् 2004–2005 में किया जाना अंकित किया है। उक्तानुसार एक तरफ तो सम्वत 2078 अर्थात सन 2021–2022 में अतिक्रमण करना तथा दूसरी तरफ सन 2004–2005 में निर्माण किया जाना अंकित किया गया है, जो दोनों तथ्य विरोधाभाषी हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है जो किसी भी रूप में पोषणीय नहीं है।

अपीलार्थी व बीएसएनएल के मध्य उक्त भूमि पर टावर लगाने का एक रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 24.10.2018 को उपपंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी के द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की मानकर तस्दीक किया गया था तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार जब तक उक्त इकरारनामे को निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उक्त इकरारनामे में अंकित सभी तथ्यों के सही होने की उपधारणा की जायेगी तथा इकरारनामें में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की है। उक्त तथ्यों के विपरित जाकर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह विधिक स्थिति से विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश में अंकित भूमि बाबत दिनांक 03.07.2015 को भू राजस्व अधि0 की धारा 256/257 के तहत 13,500 रूपये बकाया का नोटिस दिया गया था तथा अपीलार्थी ने दिनांक 20.07.2015 को उक्त राशि जरिये रसीद संख्या 67 तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां जमा करवाये थे। इन सब से स्पष्ट है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा आक्षेपित आदेश में अंकित भूमि को अपीलार्थी के कब्जे व स्वत्व की होना स्वीकार किया गया था, अब उससे विपरित जाकर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह अपने पूर्ववर्ती आदेश से विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जिस सड़क के कार्य में व्यवधान/अतिक्रमण मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उक्त सडक सन 1976 में डाली गई थी और पूर्व में 3 दफा सड़क निर्माण किया जा चुका है अब केवल मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलार्थी के निर्माण [illegible] रूप से अतिक्रमण मानकर ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी का स्वत्व व कब्जा मानकर अनापति प्रमाण पत्र जारी हुये है जिससे भी अपीलार्थी का पुराना व वैध कब्जा है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। अगर अपीलांट का अतिक्रमण माना भी जाता है तो राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नियमन की कार्यवाही बाबत अपीलांट भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है अथवा विकल्प के बतौर राशि जमा नहीं होने की स्थिति में उक्त भूमि के पास में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से भूमि लेकर उक्त भूमि का नियमन किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 04.05.2022 उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0नं 24/2022 निरस्त किये जाने एवं न्यायहित में अन्य कोई न्यायोचित आदेश अपीलार्थी के पक्ष में फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी पोंख की रिपोर्ट के अनुसार हाल भूमि खसरा नंबर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता में से 0.32 है0 सरकारी भूमि पर अपीलांट श्री जीवराज सिंह ने अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर व पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 04.05.2022 पारित किया गया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी पोंख की रिपोर्ट के अनुसार हाल भूमि खसरा नंबर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता में से 0.32 है0 सरकारी भूमि पर अपीलांट श्री जीवराज सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर व पक्के मकानात बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट को सुना गया है एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। विवादित भूमि रास्ते की भूमि होना बताया गया है जो आमजन के उपयोग की भूमि है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण/कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022 उनवानी सरकार बनाम जीवराज सिंह मु0नं0 24/2022 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested